



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)



ईमेल/Email : affiliationsectionhnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि./मान्यता/2024/78
सेवा में,

दिनांक : 09/04/2024

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
सुसाना मैथोडिस्ट गर्ल्स बी0एड0 कालेज,
सिविल लाइन रुड़की-247667
जिला हरिद्वार।

विषय:- सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सत्र 2023-24 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय सम्बद्धता पोर्टल पर आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित औचक निरीक्षण समिति की रिपोर्ट दिनांक 16.09.2023 एवं सम्बद्धता मानकों की पूर्ति हेतु आपके द्वारा निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराये गये 31 बिन्दुओं के शपथ-पत्र, निरीक्षण समिति द्वारा कालेज/संस्थान में अंकित की गयी कमियों/सुझावों की पूर्ति हेतु प्रेषित आपके पत्र संख्या-SMGC/B.Ed./Aff./3073. दिनांक 23.02.2024 तथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता स्टैंडिंग समिति की अनुशंसा दिनांक 22.03.2024 के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदया द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत सुसाना मैथोडिस्ट गर्ल्स बी0एड0 कालेज, रुड़की जिला हरिद्वार में पूर्व से संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट के साथ सत्र 2023-24 में संचालन हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति, निरीक्षण समिति द्वारा अंकित निम्न वर्णित कमियों/सुझावों के निस्तारण के प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है कि:-

1. The salary should be paid as per UGC scales.
2. The committee recommended that remaining 6 teachers for two units B.Ed. course should be appointed before commencement of session 2023-24.
3. The prescribed number of books is required to be purchased for session 2023-24
4. The Management committee is not approved by the university.

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:-

1. संस्थान द्वारा उक्त सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक व अन्य अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी अनिवार्य है, जिनको यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतन देय होगा।
2. संस्थान द्वारा उक्तानुरूप नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सम्बन्धित के बैंक खातों में करते हुए आयकर निर्धारण हेतु नियमानुसार फार्म-16 जारी किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान की प्रति तिमाही सूचना तथा जारी फार्म-16 की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करावायी जानी होगी।
3. संस्थान द्वारा हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु चिन्हित/निर्धारित परिसर में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध पाठ्यक्रमों/दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्रों का संचालन नहीं किया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों को नियमानुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रदान करते हुए प्रवेश की तत्सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवायी जानी अनिवार्य है।
5. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संस्थान से वांछित समस्त सूचनाओं/दस्तावेजों को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करवाया जाना होगा।
6. संस्थान को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

उक्तानुसार सत्र 2023-24 हेतु निर्गत इस अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण आदेश में उल्लिखित कमियों/सुझावों/ प्रतिबन्धों की कार्यपूर्णता अनुपालन आख्या सम्बन्धित सत्यापित अभिलेखों सहित आवश्यक रूप से इस आदेश निर्गत तिथि से पन्द्रह (15) कार्यदिवस अर्न्तगत विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में संस्थान की अग्रेत्तर सम्बद्धता/असम्बद्धता के विषय में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही व्यवहृत की जायेगी।

आज्ञा से
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
2. निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
3. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
5. निजी सचिव प्रति कुलपति, माननीय प्रति कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. निजी सचिव कुलसचिव/वित्तअधिकारी, कुलसचिव/वित्तअधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

डॉ0(संजय कुमार ध्यानी)
उप कुलसचिव (मान्यता)